FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीक

.......धर्मेन्द्र कुमार........ बनाम ....श्रीमान तहसीलदार श्रीमाधोपुर

किस्म मुकदमा ....दावा........................ नं. ..३७.......... सन् ..2019.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
01.12.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– जोरावर नगर में वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 01/12/21 (दिलीप सिंह) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्प– जोरावर नगर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:35:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
कैम्पः– जोरावर नगर
<u>पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)</u>

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
97 / 2019	2019 / 256	14.10.2019	01.12.2021

उनवान

1. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्योनाथ उम्र– 21 साल जाति गूर्जर निवासी ग्राम नालोट तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

प्रतिवादी

उपस्थित–

श्री जगदीश प्रसाद गूर्जर, वादी अभिभाषक।
पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर, प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते श्रीमाधोपुर (सीकर)

<u>वादपत्र बाबत उद्‌घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि वादी की खातेदारी आराजीयात काश्तकारी भूमि वाके ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 358, 374 कुल किता 2 कुल रकबा 0.98 हैक्टर की खातेदारी के वादी 1/8 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार व कृषि भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 2.47 हैक्टर का वादी 1/24 हिस्से का व कृषि भूमि खसरा नम्बर 359, 373 कुल किता 2 कुल रकबा 0.18 हैक्टर का 1/40 हिस्से का व खसरा नम्बर 344 चाह रकबा 0.02 हैक्टर का वादी 1/40 हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। वादी को अपने गांव, समाज, बिरादरी में आम बोलचाल की भाषा में धर्मा के नाम से पुकारा जाता है और धर्मपाल पुत्र श्योनाथ व धर्मेन्द्र पुत्र श्योनाथ एक ही व्यक्ति है। वादी के पिता श्योनाथ का स्वर्गवास वादी के दादाजी हनुमान के जीवनकाल में ही हो गया था। जब वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:55:06 IST
Reason: SelfAttested

01/12/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के दादाजी हनुमान पुत्र गोपी के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में विरासत का नामान्तकरण हुआ तब वादी अव्यवस्क था। वादी के ताउ महेश ने ही विरासत का नामान्तकरण की कार्यवाही की थी जो अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति था। इसलिए कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण के वक्त वादी का नाम धर्मपाल अंकन हो गया। जबकि वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजात् आदि में भी वादी का सही नाम धर्मेन्द्र कुमार दर्ज है जो सही एंव सत्य है। वादी का राजस्व अभिलेख खातेदारी में धर्मपाल एंव अन्य समस्त रिकार्ड में वादी का नाम धर्मेन्द्र कुमार अंकित होने से आपस में मेल नहीं खाता है। वादी को उक्त गलत नाम से सख्त हक तलफी है एंव वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी आ रही है। वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज धर्मपाल पुत्र श्योनाथ के स्थान पर अपना नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्योनाथ दुरूस्त करवाने का अभिकथन वकील वादी के द्वारा किया गया है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी नं. 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पंत्राक 1972/भू.अ./2020 दिनांक 09.09.2020 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। साक्ष्य वादी में वादी धर्मेन्द्र कुमार व वादी गवाह में महेश कुमार का लिखितशुदा शपथ पत्र पेश कियें। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने एंव साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की चार जमाबन्दियों में दर्ज रिकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम धर्मपाल पुत्र श्योनाथ दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जो गलत दर्ज है। जबकि वादी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज अष्टम बोर्ड प्रमाण पत्र अंकतालिका आदि में वादी का सही नाम धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर पुत्र श्योनाथ गूर्जर नाम दर्ज है। जो सही है। जिस बाबत सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] दिनांक 02.10.2019 को धर्मेन्द्र कुमार को धर्मेन्द्र कुमार उर्फ धर्मपाल दोनों नामों से जाने प[illegible] प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अ[illegible] हेतु यह दावा न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना प्रकट होता है। भूमिधारी त[illegible]र श्रीमाधोपुर ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांकित 09.09.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि [illegible]क्त वादग्रस्त भूमियों में वादी का वास्तविक नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्योनाथ सही है जो राजस्व रिकार्ड में सहवन से धर्मपाल पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:55:06 IST
Reason: SelfAttested

01/12/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

श्योनाथ गलत दर्ज होना बताया है। उक्त गलत नाम के स्थान पर वादी का सही नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्योनाथ के नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट व वादी गवाह में प्रस्तुत शपथ पत्र से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल मिलता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उदघोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम नालोट पटवार हल्का जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित खसरा नम्बर 358, 374 कुल किता 2 कुल रकबा .0.098 हैक्टर के 1/8 हिस्से की खातेदारी व कृषि भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 2.47 हैक्टर के 1/24 हिस्से की खातेदारी व कृषि भूमि खसरा नम्बर 359 रकबा 0.14 हैक्टर, 373 रकबा 0.04 हैक्टर का वादी के 1/40 हिस्सा व कृषि भूमि खसरा नम्बर 344 कुल रकबा 0.02 हैक्टर चाह के 1/48 हिस्से की खातेदारी में दर्ज वादी का नाम धर्मपाल पुत्र श्योनाथ के स्थान पर धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्योनाथ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी कदर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

Rathore 01/12/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– जोरावर नगर

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित ग्राम पचांयत– जोरावर नगर के मजमें–ए–आम में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:55:06 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 01/12/21
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– जोरावर नगर

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर